राजस्व प्रार्थना पत्र 94/2020
धारूराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020

प्रार्थी–

1. धारूराम पुत्र भैरूराम जाति–रेगर
निवासी–फरड़ौद, तहसील–जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित –
1. अभिभाषक श्री हनुमानराम मण्डा प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 01/03/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम धारूराम पुत्र भैरूराम हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा फरड़ौद के खतौनी सं. 708 खसरा नम्बर 1060 ,1073,1082,1313,1593 में सहखातेदारी के रूप में प्रार्थी का नाम सहवन से नामान्तरकरण दर्ज करते समय धासराम पुत्र भैरूराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, बैंक खाता व आधार कार्ड संख्या 533500188926 मे प्रार्थी का नाम धारूराम पुत्र भैरूराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया। जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2021/425 दिनांक 22.01.2021 मय हल्का पटवारी फरडौद की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम नामान्तरकरण से ही धासराम पुत्र भैरूराम दर्ज है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में धारूराम पुत्र भैरूराम नाम दर्ज है जिसे प्रार्थी अब राजस्व रेकर्ड में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

धारूराम पुत्र भैरूराम दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। जांच करने पर पाया गया कि धारूराम पुत्र भैरूराम सही नाम है। प्रार्थी का नाम धासराम पुत्र भैरूराम के स्थान पर धारूराम पुत्र भैरूराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में हल्का पटवारी फरड़ौद की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधारकार्ड, बैंक खाता, व कसनाउ के खतौनी सं. 41 खसरा नम्बर 575 रकबा 11.16 बीघा की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में फरड़ौद के खतौनी सं. 708 खसरा नम्बर 1060 ,1073,1082,1313,1593 में सहखातेदारी के रूप में प्रार्थी का नाम धासराम पुत्र भैरूराम दर्ज के स्थान पर धारूराम पुत्र भैरूराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज फरड़ौद के खतौनी सं. 708 खसरा नम्बर 1060 ,1073,1082,1313,1593 में सहखातेदारी के रूप में प्रार्थी का नाम धासराम पुत्र भैरूराम दर्ज है जिसके स्थान पर धारूराम पुत्र भैरूराम शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक खाता, व आधार कार्ड संख्या 553500188926 की फोटो प्रति से प्रार्थी धारूराम पुत्र भैरूराम व धासराम पुत्र भैरूराम एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी धारूराम पुत्र भैरूराम व धासराम पुत्र भैरूराम दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम धारूराम पुत्र भैरूराम ही है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली के अवलोकन से हस्त लिखावट के दौरान जमाबंदी में धारूराम के **"रू"** का धासराम का **"स"** के रूप में परिवर्तीत होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी धासराम के स्थान पर वास्तविक नाम धारूराम पुत्र भैरूराम जाति–रेगर निवासी–फरड़ौद तहसील–जायल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 94 / 2020

धारूराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जायल

— : : आदेश : : —

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम फरड़ौद तहसील जायल की जमाबंदी खाता संख्या 708 में दर्ज खातेदार धासराम पुत्र भैरूराम जाति–रेगर निवासी–फरड़ौद तहसील–जायल के स्थान पर धारूराम पुत्र भैरूराम जाति–रेगर निवासी–फरड़ौद तहसील जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

01/03/2021

(रवीन्द्र कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner